न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 42 / 2018 दायरा दिनांक : 07.03.2018

उनवान

प्रहलाद उम्र 56 वर्ष पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी बाणगंगा, उपतहसील कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कवाई, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री रघुवीर प्रसाद मीणा
अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 21.03.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 06.03.2017 प्रकरण संख्या 240 / 2016 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई के प्रकरण सं0 311 / 2015 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.03.2015 से अपीलांट को ग्राम गोरडी, की आराजी खसरा नम्बर 678 रकबा 0.35 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 175 / – रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.03.2017 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया । न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । माननीय राजस्व मंडल ने ऐसे ही प्रकरण में आर. बी. जे. 2007 पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल मोठपुर, तहसील अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 की फोटो प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोरडी की आराजी खसरा नम्बर 678 रकबा 0.35 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर प्रार्थी प्रहलाद पुत्र गोपाल, जाति मीना निवासी बाणगंगा का कोई कब्जा काश्त नहीं पाया गया । मौका स्थिति पर भूमि पडत पडी हुई है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है । माननीय राजस्व मंडल द्वारा आर. बी. जे. 2007 पेज 644 पर प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में कारावास के दण्ड को माफ किया गया है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है। लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेश आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा